

- 1) Administrative Order for payment within 60 days
- 2) Administrative Order for payment to be done Online

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 12 | 2007-08 | 30 | पन्द्रह | 300

इन्दौर दिनांक : 8-05-2007

॥ परिपत्र ॥

विषय : वापसी (रिफण्ड)

1. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 39 में वापसी का प्रावधान है। अधिनियम की उक्त धाराओं में किसी भी व्यवसाई/व्यक्ति को भिन्न-भिन्न स्थितियों में वापसी की पात्रता आती है। राज्य स्तरीय वाणिज्यिक कर सलाहकार समिति, माननीय विधायकों की परामर्शदात्री समिति एवं विभिन्न फोरम पर वापसी प्रदाय की प्रणाली में आने वाली परेशानियों को उठाया गया है। सरल, सुगम एवं अविलम्ब वापसी प्रदाय हेतु समय-समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, फिर भी इस संबंध में वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। व्यवसाइयों को अभी भी वापसी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वापसी का कार्य सुगम एवं शीघ्र हो इस हेतु प्रक्रियात्मक एवं सक्षम अधिकारी की वापसी स्वीकृति की सीमा में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान में रिफण्ड स्वीकृत करने एवं आर.पी.ओ. जारी करने की प्रक्रिया आमतौर से निम्नानुसार है :-

वाणिज्यिक कर अधिकारी → सहायक आयुक्त → उपायुक्त → अपर आयुक्त

उक्त प्रक्रिया के तहत यदि 5 लाख से अधिक राशि का रिफण्ड वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण में निकाला जाता है तब ऐसे रिफण्ड के प्रकरण को सहायक आयुक्त/उपायुक्त के माध्यम से अपर आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है। तदुपरांत अपर आयुक्त की स्वीकृति के बाद उसी क्रम से वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रकरण वापस प्राप्त होता है एवं उसके बाद वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आरपीओ जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर विलम्ब होता है। इस विलंब को दूर करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि अब रिफण्ड उद्भूत करने वाला कर निर्धारण अधिकारी प्रकरण आदेश पारित दिनांक से 7 दिवस के अंदर सीधे सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिये भेजेगा तथा सक्षम अधिकारी अधिकतम 15 दिवस में प्रकरण को स्वीकृति अथवा निर्देश के साथ सीधे कर निर्धारण अधिकारी को वापस भेजेगा। उदाहरणतः यदि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण उपरांत रिफण्ड उद्भूत किया जाता है जिसकी स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी अपर आयुक्त हैं तब वाणिज्यिक कर अधिकारी सीधे प्रकरण अपर आयुक्त की ओर भेजेगा। इसी प्रकार अपर आयुक्त/सक्षम अधिकारी प्रकरण को स्वीकृति अथवा निर्देश के साथ सीधे कर निर्धारण अधिकारी को वापस भेजेगा। इस प्रकार मध्य के स्तरों पर होने वाला विलंब कम किया जा सकेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में निर्धारित की गई समय-सीमाओं का विशेष ध्यान रखा जावे।

2. वेट अधिनियम के नियम 56 के अनुक्रमांक 10 के अंतर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी तक रिफण्ड की शक्तियाँ प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 2/2006/25/1/129, दिनांक 1.4.2006 से विभिन्न अधिकारियों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। प्रत्यायोजन

आदेश के अनुक्रमांक 10 में वापसी स्वीकृति हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी से अपर आयुक्त तक निम्नानुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं :-

(ए)	रु. 20,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	वाणिज्यिक कर अधिकारी
(बी)	रु. 40,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	सहायक आयुक्त
(सी)	रु. 5,00,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	उपायुक्त
(डी)	अन्य सभी प्रकरणों में	अपर आयुक्त

उक्त प्रत्यायोजित शक्तियों के आदेश में दिनांक 4.5.2007 से निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

(ए)	रु. 1,00,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	वाणिज्यिक कर अधिकारी
(बी)	रु. 5,00,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	सहायक आयुक्त
(सी)	रु. 10,00,000/- से अनाधिक वापसी की राशि	उपायुक्त
(डी)	अन्य सभी प्रकरणों में	अपर आयुक्त

3. अब वैट अधिनियम/वाणिज्यिक कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रयकर/प्रवेशकर अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत होने वाली वापसियों के संबंध में उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों में भी उक्त सीमाएँ लागू होंगी। जो प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं वह हर हालत में 10 दिवस की समय सीमा में निवर्तित किये जाएँ।

4. मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 39 में वापसी हेतु प्रावधान किया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वापसी हेतु राशि का समायोजन व्यवसायी द्वारा देय किसी बकाया कर, शास्ति, ब्याज, अनुज्ञप्ति शुल्क, पंजीयन शुल्क अथवा मुक्ति शुल्क जो वैट अधिनियम/वाणिज्यिक कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम/प्रवेशकर अधिनियम के अंतर्गत देय हो, के विरुद्ध किया जावेगा और तदुपरांत अवशेष राशि की वापसी दी जावेगी।

5. वैट अधिनियम की धारा 37(5) के अनुसार वापसी 60 दिवस में व्यवसायी को दी जाएगी। यदि वापसी की राशि कर निर्धारण आदेश दिनांक से 60 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तो 60 दिवस की समाप्ति के दिनांक से वापसी प्रदाय दिनांक तक की अवधि हेतु व्यवसायी को 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान देय होगा।

6. 1. वापसी की राशि रुपये पांच हजार से अधिक होने पर वापसी भुगतान आदेश को "क्रासड" किया जाकर "अकाउन्ट पेयी" जारी किया जाना आवश्यक है।

2. व्यवसायी यदि चाहे तो पश्चातवर्ती देय होने वाली किसी राशि के विरुद्ध वापसी की राशि के समायोजन हेतु आवेदन कर सकते हैं और तदनुसार वापसी समायोजन आदेश जारी किया जाएगा।

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश

महाना गंधी मार्ग, इन्दौर - 452 007 फोन : 0731-2543271, 72,73,75 फैक्स : 0731-2536229

क्रमांक: 234/2013-14/30/पन्द्रह/206 (परिपत्र-96) इंदौर, दिनांक 27-03-14

प्रति,


संचालक, वाणिज्यिक कर,
परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर(समस्त)
संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर(समस्त)
उपायुक्त वाणिज्यिक कर, आडिट विंग (समस्त)
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर(समस्त)
वृत्त प्रभारी (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय: वाणिज्यिक कर विभाग के टेक्स रिफण्ड के देयकों का ई-रिफण्ड।
संदर्भ: संचालनालय, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश का ज्ञाप क्रमांक डीटीए/ई-पेमेंट/
2014/345 भोपाल दिनांक 25.03.14

संचालनालय, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के टेक्स रिफण्ड के देयकों को प्रस्तुत करते समय भुगतान प्राप्तकर्ता का बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. कोड का अनिवार्यतः उल्लेख किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कोषालय द्वारा रु 1,000/- से अधिक के समस्त भुगतान, ई-रिफण्ड के माध्यम से ही किये जावेंगे। रिफण्ड देयकों के विरुद्ध कोई कोषालयीन चेक जारी नहीं किये जावेंगे।

अतः समस्त कर निर्धारक अधिकारियों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि टेक्स रिफण्ड के देयकों को प्रस्तुत करते समय भुगतान प्राप्तकर्ता का बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. कोड का अनिवार्यतः उल्लेख करें। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भुगतान प्राप्तकर्ता व्यवसायी से बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. कोड प्रमाणित करवाकर प्राप्त किया जावे एवं इसे अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे।


इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।


(अमिन्दर सिंह)
आयुक्त

वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश
इंदौर, दिनांक 27-3-14

क्रमांक: 234/2013-14/30/पन्द्रह/206
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ई-रिफण्ड में बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. कोड प्राप्त करें एवं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते रहें।


(एम.एस. चौहान)
अपर आयुक्त
वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश

Supporting Doc 3 : Screen Shot of Refund Process in Application

URL: <https://mptax.mp.gov.in>

Path : Login >> Task >> Process >> Assessment >> Issue Refund Order >> Select Firm >> Assessment Details >> Refund Info (RAO/RPO) >> Approve

The screenshot shows the 'Department of Commercial Tax, Government of Madhya Pradesh' interface. The user is logged in as 'Shri Atul Shrivastava (AC of Commercial Tax Indore Circle-3)'. The navigation menu includes: Common, DMS, Registration, Returns, Assessment, MIS, Hotel Tax, PT, Audit, Enforcement, IIS, TAS, LIS (Appeal and Court Cases), ARS, Dealer Profile, Builder Tax, and Helpdesk. The main content area displays 'PENDING TASKS (64989)' and 'TASKS PENDING FOR LESS THAN 15 DAYS (1698)'. Under the latter, there are links for 'PROCESS (37)', 'DECISION (289)', and 'NOTICE/CERTIFICATE PRINTING (1362)'. Below that, a section titled 'LIST OF ALL TASKS NOT COMPLETED WITHIN 15 DAYS OF CREATION (63291)' shows a list of tasks, including 'ISSUE REFUND ORDER (575)' which is highlighted. A message at the bottom states 'Your password will expire in 6 days.'


This screenshot shows the 'Issue Refund Order' screen. It features search filters for 'TIN', 'Firm Name', and 'Task Created Date'. The search results are displayed in a table with the following data:

TIN	Firm Name	ACT CODE	Task Created Date
23989023419	SANDEEP PATIL CONTRACTOR	VAT	22/10/2014
23620300664	M/S PAMECHA CUTPIECE CENTER	ET	16/10/2014
23149026704	M D MANDLOI	VAT	14/10/2014
23880300424	M/S. MADANLAL SHRINIWAS AND COMPANY	ET	01/08/2014
23909002669	S V Manawat	ET	01/08/2014
23830301567	M/S KAMAL BROTHERS	ET	01/08/2014
23090601898	P.B. ELECTRICALS	VAT	30/07/2014
23941204625	M/S BALAJI CONSTRUCTION	VAT	06/01/2014
23440301927	M/S. R. KED CONSULTANTS	VAT	15/10/2013
23120302782	S.Hotchand Textiles	ET	30/09/2013
23201205226	M/S SHUBHLABH CONSTRUCTIONS	VAT	24/06/2013
23841201576	FANTASY FURNITURE AND FABRICATORS	CST	19/02/2013
23041203568	INDUS TECHNOLOGIES	ET	10/01/2013
23631301262	M/S EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.	VAT	21/12/2012
23241402211	SUVIDHA TRADING CO. AND PARTY	VAT	17/10/2012

The table is paginated, showing 'Total No. of Records : 529', 'Records from: 1 to 15', and 'Page No.: 1 of 39'. A 'Back' button is located at the bottom of the table.

Government Of Madhya Pradesh - Windows Internet Explorer

[Helpdesk](#) : [Home](#) : [About Us](#) : [User Manual](#) : [Site Map](#) : [Logout](#)


Department of Commercial Tax
 Government of Madhya Pradesh

Welcome Shri Atul Shrivastava (AC of Commercial Tax Indore Circle-3)
[Change Password](#) | [Release Notes](#)
[English](#) | [Hindi](#)

[Common](#) [DMS](#) [Registration](#) [Returns](#) [Assessment](#) [MIS](#) [Hotel Tax](#) [PT](#) [Audit](#)
[Enforcement](#) [IIS](#) [TAS](#) [LIS \(Appeal and Court Cases\)](#) [ARS](#) [Dealer Profile](#) [Builder Tax](#) [Helpdesk](#)

Issue Refund Order


[Basic Info](#) [Assessment Details](#) [Refund Info](#)

TIN: Dealer Name:

Bank Account Details

Bank Name	Bank Branch	Bank Account Number
CANARA BANK	KHAJRANA BRANCH INDORE	74

Your password will expire in 6 days.


TATA CONSULTANCY SERVICES
 © 2009 Tata Consultancy Services Limited. All Rights Reserved.

[Disclaimer](#)
 Can be viewed with Internet Explorer 7 and above.
 Best viewed with screen resolution of 1280x1024.


Shri Atul Shrivastava, Your session will expire within 59 minute(s) and 58 second(s).

Local intranet 100%

start Government Of Madh... Document1 - Microsof... EN 3:47 PM

Government Of Madhya Pradesh - Windows Internet Explorer

[Helpdesk](#) : [Home](#) : [About Us](#) : [User Manual](#) : [Site Map](#) : [Logout](#)


Department of Commercial Tax
 Government of Madhya Pradesh

Welcome Shri Atul Shrivastava (AC of Commercial Tax Indore Circle-3)
[Change Password](#) | [Release Notes](#)
[English](#) | [Hindi](#)

[Common](#) [DMS](#) [Registration](#) [Returns](#) [Assessment](#) [MIS](#) [Hotel Tax](#) [PT](#) [Audit](#)
[Enforcement](#) [IIS](#) [TAS](#) [LIS \(Appeal and Court Cases\)](#) [ARS](#) [Dealer Profile](#) [Builder Tax](#) [Helpdesk](#)

Issue Refund Order

[Basic Info](#) [Assessment Details](#) [Refund Info](#)


Refund Adjustment Order Refund Payment Order

Period From *
 Period To *

Assessing officer Remarks Approving officer Remarks *

RAO/RPO Order Date*

Your password will expire in 6 days.


TATA CONSULTANCY SERVICES
 © 2009 Tata Consultancy Services Limited. All Rights Reserved.

[Disclaimer](#)
 Can be viewed with Internet Explorer 7 and above.
 Best viewed with screen resolution of 1280x1024.

Shri Atul Shrivastava, Your session will expire within 59 minute(s) and 26 second(s).

Local intranet 100%

start Government Of Madh... Document1 - Microsof... EN 3:48 PM